



मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक आम कारक है- रिश्ते और विश्वास। यही हमारे विकास की नींव है।



-धीरुभाई अंबानी

जिद... सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/4pm NEWS NETWORK)

• तर्फ़: 9 • अंक: 230 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023

आखिरी टी-20 में भारतीय महिलाओं... | 7 | महुआ के निष्काष्टन का बंगल में... | 3 | चंदे से जन्मत को किया जा रहा... | 2 |

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का 'सुप्रीम' आदेश

चुनाव आयोग को निर्देश- सितंबर 2024 तक कराए चुनाव

- » धारा-370 पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला, विशेष दर्जे की समाप्ति को सही ढहारा।
- » भाजपा ने फैसले का किया स्वागत, विषय ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया।

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य की दर्जा बहाली करने के साथ तुरंत चुनाव करवाने का आदेश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 को खम्म करने से इंकार कर दिया है। इस फैसले का जहां भाजपा ने स्वागत किया है वहीं विषय की तरफ सबी हुई प्रतिक्रिया मिली है। सोमवार को चुनाव आयगा (ईसी) को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने

अनुच्छेद 370 को

खत्म करने को

चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

मुख्य न्यायाधीश

डीवाई चंद्रचूड़ की

अगुवाई वाली पांच

न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि

प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र की सर्वोपरि

विशेषताओं में से एक है और इसे रोका नहीं जा सकता। पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-

कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं और जल्द से

जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू-कश्मीर में आखिरी

विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन से बाहर हो गई और विधानसभा भंग हो गई। इसके बाद राज्यपाल शासन लागू हो गया। 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने अनुच्छेद 370



को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस क्षेत्र में स्थानीय चुनाव भी हुए हैं, जिसमें 2020 जिला विकास परिषद चुनाव और इस साल की शुरुआत में हुए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएचडीसी)-कारगिल चुनाव भी शामिल हैं।

अस्थायी प्रावधान था संविधान का अनुच्छेद 370 : घंट्रधूद
इस दौरान अपने फैसले में पीठ की अस्थायी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 अलग-अलग राज्यों को विशेष दर्जे देने का उदाहरण है। यह साफ तौर पर असमित संघवाद का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर की कोई आंदिक संभवता है। योजना की रूपरेखा ने इसे लागू किया गया था। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। सारांश के आदेश की संवैधानिकता पर सीजेआई ने कहा कि फैसले के काम राज्य की

कि हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। व्यक्तिगत उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। संविधान के गठन के लिए इसे अंतिम तौर पर लागू किया गया था। यीजे आई ने कल कि संविधान में कही इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंदिक संभवता है। युवानों की साल 1949 में की गई ऊर्जा और सार्विजन से इसकी पुष्टि होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत ही जम्मू कश्मीर भारत का अग्रिम विस्तार बन गया था।

जल्द से जल्द हो चुनाव : उद्धव ठाकरे



एक मुरिकल पड़ाव है, यह मंजिल नहीं : महबूबा



पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल हो : अधीर



जम्मू-कश्मीर

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितने जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराया जाए। जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाए तो जल्द से जल्द स्टेटटूड वापस किया जाए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

निराश हूं, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार: उमर अब्दुल्ला



उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है, निराशा हूं, लेकिन हात्तिस्तित नहीं, सुधार जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दराकों लग गए। इन में लंबी टैक के लिए नीं तैयार हैं।

यह कानूनी फैसला नहीं बल्कि आशा की किण्ण : मोदी



अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने टीवी कर्ते हुए लिखा कि अनुच्छेद 370 हात्ता पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। जिसके भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है।

नजरबंदी को लेकर महबूबा व एलजी में तकरार

(पीडीपी) ने दावा किया है कि उसकी अस्थाय महबूबा मप्टी की उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले सोमवार को नाजरबंद कर दिया गया है, जिसके बाद सिन्हल का यह बदला समाप्त हो जायेगा। उपराज्यपाल ने बाजार को नाजरबंद कर दिया है। यह प्रतिक्रिया की तरफ आयी है। यह एक उत्तराधिकारी विषय है।

फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस : आजाद



महुआ के निष्काष्टन का बंगाल में मिलेगा टीएमसी को लाभ

- » तीन राज्यों में हार के बाद महुआ का मुद्दा बन सकता सियासी हथियार
- » भाजपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने कसे कमर
- » महुआ के काम की हो रही चर्चा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी की बढ़त से जहां कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल निराश हो गए थे। पर जैसे ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को व्यवेचन फार वरेरी मामले में लोक सभा की सदस्यता से निष्काष्टित कर दिया गया वैसे ही विपक्ष को भाजपा पर हमले का मौका भी मिल गया। साथ ही सियासी गलियारों में यह भी चर्चा जोर पकड़ रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को भुना ले गया तो इसका लाभ वह लोकसभा चुनाव में ले सकता है पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष को इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। पर कुछ राजनीतिक पटितों का मानना है युक्ति मामला तृणमूल के सांसद हैं तो बंगाल में इस मुद्दे पर सियासम गरमाएगी।

इसी मद्देनजर वहां बीजेपी के स्थानीय नेता टीएमसी के साथ-साथ ममता व महुआ दोनों पर हमलावर हैं। उनको ऐसा लगाया है कि महुआ के ऊपर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का मामला गरमाकर वह बंगाल में ममता को बैकफुट पर ला सकते हैं। पर वहीं ममता इसको महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर पूरे बंगाल में ही नहीं पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बना सकती हैं। इस सब के बीच ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि महुआ मोइत्रा की निष्कासन ने क्या विपक्षी एकजुटा को फिर से मजबूत कर दिया है? क्या इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार को घरने के लिए बड़ा हथियार मिल गया है? पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार तकरार की खबरें आ रही हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से को निष्कासित कर दिया गया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट चर्चा के बाद पारित हुई। हालांकि, महुआ मोइत्रा के निष्कासन को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। विपक्षी दलों का दावा है कि महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसफाई हुई है। उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही विपक्षी दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह लोकतंत्र के साथ विश्वास घात हुआ है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्षी सांसद एकजुट नजर आए। उन्होंने गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी किया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कांग्रेस की ओर से दिल्ली में रखी गई थी। लेकिन कई बड़े नेताओं के मना करने के बाद इस संस्थागत कर



लोकतंत्र के साथ हो रहा विश्वासघात

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस कदम को देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि आज मुझे बीजेपी पार्टी का रवैया देखकर दुख हो रहा है...उन्होंने लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया...उन्होंने महुआ को अपना रुख स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। सरासर अन्याय हुआ है। ममता ने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि महुआ (मोइत्रा) परिस्थितियों की शिकायत हुई हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं...हमारी पार्टी महुआ से साथ है हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी...यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है : श्रीनेत



ये सरकार डरती है... सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। - कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, सभी उस पर बोल रहे थे पर महुआ मोइत्रा बोलने और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायेचित नहीं है, भाजपा सशक्त महिलाओं से घबराती है। अडानी पर अगर कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो भी सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर प्रकार की मनमानी कार्रवाई की जाएगी।

दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कांग्रेस की ओर से दिल्ली में रखी गई थी। लेकिन कई बड़े नेताओं के मना करने के बाद इस संस्थागत कर

भाजपा महिलाओं को बर्दाइत नहीं करती : टीमएसी

कांग्रेस सांसद कार्तिं विद्वंस ने कहा कि महुआ मोइत्रा को अपराधी बताने के बाद एथिक्स कमेटी ने पूछताछ की मांग की। आप अपराधी मिलने के बाद जांच की मांग कैसे कर सकते हैं? आपको पहले जांच करनी चाहिए और फिर किसी को अपराधी कहना चाहिए

आपको (एथिक्स कमेटी) कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री डॉ. शशि पांजा ने कहा कि एक महिला का सत्ता में होना ऐसी चीज है जिसे भाजपा बर्दाशत नहीं कर सकती.... उन्होंने (भाजपा) कैसे सोचा कि यह निष्कासन

उन्हें (महुआ मोइत्रा) चुप करना के लिए काफी है? वे 2024 में फिर चुनाव लड़ेंगी। - कांग्रेस नेता अब्दुल खालिक ने कहा, जो भी अडानी पर सवाल उठाता है ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। महुआ मोइत्रा के केस में भी हमने वही देखा।

आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक कहते हैं, एक लक्ष्य रखा गया था कि उन्हें (महुआ मोइत्रा) को हटाना है और फिर एक रणनीतिक योजना बनाई गई, उन्हें फैसाया गया... हर कोई जानता था कि यह सब उन्हें निलंबित करने के लिए किया गया था। ..हम महुआ मोइत्रा के साथ हैं...। आप की प्रियकां कक्षर ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बृजभूषण सदन में है, और महुआ मोइत्रा को बाहर किया गया है। यह छक्क की सोची समझी साजिश है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का अपमान किया, उसकी वजह से इंडिया

गठबंधन के कुछ नेताओं ने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया। यही कारण है कि लगातार इंडिया गठबंधन में खटपट

महुआ के पक्ष में उत्तरा विपक्ष

एक दिन पहले तक जो इंडिया गठबंधन और उसके सदस्य बिखरे नजर आ रहे थे, इस प्रकरण के बाद वह पूरी तरह एकजुट रहे। राज्य चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण गठबंधन तनाव में दिख रहा था। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) ने भाजपा से मुकाबला करने की कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाए। लेकिन महुआ मोइत्रा प्रकरण ने माहौल बदल दिया है और इंडिया लॉक की एक और सौर्वार्थपूर्ण बैठक के लिए माहौल तैयार कर दिया है। टीएमसी नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई है, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर एक व्यापारिक घराने का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उनसे ज्यादा दिनों तक दूरी नहीं बना सकी। साथ ही, वह टीएमसी को नाराज करने से भी सावधान थी, जिसने हाल तक उनके मामले पर काफी हद तक चुप्पी साध रखी थी। लेकिन सोनिया गांधी ने खुद एकजुटा दिखाते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी को खुश कर दिया है। कांग्रेस ने महुआ के समर्थन में अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का द्विप जारी किया था। इतना ही नहीं, ममता के विरोधी माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने महुआ के साथ खड़े होने और स्पीकर को पत्र लिखकर आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए और समय मांगा।

महुआ को फंसाया गया : आप

सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रियों एवं सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायिकों का समय घटन्याकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वही आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका एक दो सांसद-विधायक ही सदन में बैठेगा। कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं।

की स्थिति चल रही थी। हालांकि, महुआ मोइत्रा प्रकरण विपक्षी एकता को सजीवनी दी है।

